

भाग- 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग
द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव नं- 1527/91/2022

17	<p>टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।</p> <p>राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सु-स्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।</p>	<p>चर्चित प्रस्ताव की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।</p>
----	---	--

तिथि : 13/6/22

स्थान :

हस्ताक्षर

h&

Anupam Gupta

Chief Conservator of Forests/Nodal Officer

पद का नाम

Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

सरकारी मोहर